न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/101/2023	2023/500	26.07.2023	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री नीरज गैस रिपेयरिंग एवं गिफ्ट हाउस, कटोरीवाला, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 भरे हुए 4 भारत एवं 2 इण्डेन 1 खाली एचपी कं.) एवं 8 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) 2 एचपी एवं 6 सिलेण्डर बिना मार्का के, 1 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 10 छोटा रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर —विभागीय प्रतिनिधि
2. श्री अशोक कुमार जैन —वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 भरे हुए 4 भारत के एवं 2 इण्डेन 1 खाली एचपी कम्पनी) एवं 8 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) 2 एचपी एवं 6 सिलेण्डर बिना मार्का के, 1 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 10 छोटा रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 14.12.2022 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं हरिप्रसाद, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु बख्तल की चौकी, अलवर पर पहुंचे। मौके पर श्री नीरज सिंघल पुत्र श्री कैलाश चंद, निवासी मुंशी बाजार, अलवर की दुकान मै० नीरज गैस रिपेयरिंग एंड गिफ्ट हाउस, कटोरीवाला, अलवर पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 ग्रा (6) भरे हुए 4 भारत के एवं 2 इण्डेन 1 खाली एचपी कम्पनी) एवं 8 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) 2 एचपी एवं 6 सिलेण्डर बिना मार्का के, 1 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 10 छोटा रेग्यूलेटर मिले। जिनमें से गैस बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर (5 किग्रा) में रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। मौके पर 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर मिला। श्री अकबर खां द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री नीरज सिंघल के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3\7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6) भरे हुए 4 भारत के एवं 2 इण्डेन 1 खाली एचपी कम्पनी) एवं 8 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) 2 एचपी एवं 6 सिलेण्डर बिना मार्का के, 1 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 10 छोटा रेग्यूलेटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6) भरे हुए 4 भारत के एवं 2 इण्डेन 1 खाली एचपी कम्पनी) एवं 8 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) 2 एचपी एवं 6 सिलेण्डर बिना मार्का के, 1 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 10 छोटा रेग्यूलेटर को मै० प्रसन्ना गैस एजेंसी, एनईबी, अलवर, जिला अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 भरे हुए 4 भारत के एवं 2 इण्डेन 1 खाली एचपी कम्पनी) एवं 8 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) 2 एचपी

आ. रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

एवं 6 सिलेण्डर बिना मार्का के, 1 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 10 छोटा रेग्यूलेटर को राजसात करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कटोरी वाला अलवर में गैस रिपेयरिंग का कार्य करता है। वहां बहुत लोग रहते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं जो कि अपने गैस सिलैण्डर रिफिल हेतु मेरी दुकान पर रख ले जाते हैं तथा संबंधित गैस एजेन्सी का डिलीवर मैन मेरी दुकान पर ही सिलण्डर की रिफलिंग देकर जाते हैं। शाम को वापस घर आते वक्त उक्त लोग अपने–अपने सिलेण्डर मेरी दुकान से ले जाते हैं। जिनके सिलैण्डर हैं उनका नाम भूपेन्द्र सिंह निवारी तिजारा फाटक, एक स्वयं प्रार्थी व एक प्रार्थी के पिता का, नितिन शर्मा निवारी नंगला समावदी, विनय शर्मा निवारी नंगला समावदी, अमरजीत सिंह निवासी नंगला समावदी, ताराचंद निवासी नंगला समावदी के हैं। उक्त सभी सिलेण्डर नियमानुसार कनेक्शन लेकर घरेलु गैस का उपयोग हेतु काम में आते हैं। उक्त सिलेण्डर दुकान पर रखने के कारण प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर आ गया। प्रार्थी ने उसको भी उक्त तथ्यों से अवगत करा दिया कि उक्त सिलैण्डर यहां के आसपास के लोगों के हैं लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रार्थी की बात नहीं मानी और जबरन उक्त सिलैण्डर को जब्त कर लिये। सिलेण्डर का कोई व्यवसायिक कार्य में उपयोग नहीं कर रहा था। पंर्चा निरीक्षण में गलत तथ्य दर्ज करके उक्त सिलेण्डर को जबरन जब्त किया है जो विधि विरूद्ध किया है। उक्त सिलेण्डर वैध कनैक्शन के द्वारा प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थी से जो 5 किलों वाले छोटे सिलेण्डर जब्त किये गये हैं उनके लाइसेंस प्रार्थी के पास मौजूद हैं जो कि वहां आसपास रहने वाले विद्यार्थी आदि लेकर जाते हैं। प्रार्थी अपना लाईसेंस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः दस्तावेजों पर गौर फरमाया जाकर उसका जब्तशुदा सिलेण्डर को प्रार्थी को पुनः वापिस लौटाये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे।

अप्रार्थी वकील के जवाब पर मनन किया गया तथा विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यो से जाहिर है कि मौके पर अप्रार्थी की दुकान मै० नीरज गैस रिपेयरिंग एंड गिफट हाउस, कटोरीवाला, अलवर पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 भरे हुए 4 भारत के एवं 2 इण्डेन 1 खाली एचपी कम्पनी) एवं 8 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) 2 एचपी एवं 6 सिलेण्डर बिना मार्का के, 1 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 10 छोटा रेग्यूलेटर मिले। जिनमें से अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच गैस बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर (5 किग्रा) में रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। वक्त जांच मौके पर 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर मिला। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री नीरज सिंघल के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 भरे हुए 4 भारत के एवं 2 इण्डेन 1 खाली एचपी कम्पनी) एवं 8 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) 2 एचपी एवं 6 सिलेण्डर बिना मार्का के, 1 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 10 छोटा रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 भरे हुए 4 भारत के एवं 2 इण्डेन 1 खाली एचपी कम्पनी) एवं 8 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) 2 एचपी एवं 6 सिलेण्डर बिना मार्का के, 1 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 10 छोटा रेग्यूलेटर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)